प्रा॰ पत्र प्र॰ सं॰ 459/2022 Online No. 2022/633

मनीष / राज॰ राज्य व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/4/23	आज पत्रावली पेश हुयी उपस्थित प्रार्थी अधि॰ ... पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 18/4/23 को पेश हो। [illegible] आदेश से रीडर	
18/4/23	पत्रावली पेश हुयी। राजस्व मंत्रालयिक कार्मिक हडताल पर होने से एवं पीठासीन अधिकारी ~~प्रशासन गांवो के संग अभियान वर्ष 2023 महंगाई राहत केम्प~~ [illegible] में होने से पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 30/5/23 को पेश हो। [illegible] आज्ञा से रीडर	
30/5/23 हरजीराम स्वामी	पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील के नियत पेशी पर अनुपस्थित। विपक्षीगण को बार बार आवाजें लगाई गई, इसके बावजूद भी उपस्थित नहीं होने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की प्रार्थना पर एक तरफा बहस सुनी गयी, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 LR Act का [illegible] से निर्णय पृथक से लिखकर [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय [illegible] हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। 30/5/2023 उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
459 / 2022	29.11.2022	30.05.2023

अनवान

1. मनीष कुमार जैन पुत्र श्री गुलाबचन्द जैन निवासी कुमुन्द विहार 2 भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
2. कल्याण जाट निवासी गठीला खेड़ा भीलवाड़ा
3. किशन सिंह निवासी गठीला खेड़ा भीलवाड़ा
4. सुरेन्द्र कुमार सनाढ्य काशीपुरी भीलवाड़ा

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री लादूलाल तेली– प्रार्थी
एक तरफा– अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आटूण, पटवार हल्का आटूण, भू.अ.नि. क्षेत्र आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2069–73 के खाता संख्या 1032 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 1306, 1318/3 रकबा 02–0.5633 है0, खाता संख्या 1034 आराजी सं. 2528/1310 रकबा 1.0116 है0, खाता सं. 1026 आराजी सं. 1299, 1300/2, 1300/5 रकबा 3– 0.8965 है0 एवं खाता सं. 1040 आराजी सं. 1301/2, 1303 रकबा 2– 0.9104 है0 तथा खाता सं. 1069 आराजी सं. 1302 एवं 1305 रकबा 2– 0.7714 है0 कृषि भूमि प्रार्थी के नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है और विपक्षीगण आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई सीमांकन नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की पत्थरगढ़ी कराई जाकर मौके पर स्थायी सीमा चिह्न घोषित कराया जावे।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 30.05.2023 को अप्रार्थीगण के बाजवूद सूचना के

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढ़ी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैर–बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह–काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि मौजा आटूण, पटवार हल्का आटूण, भू.अ.नि. क्षेत्र आटूण, तहसील व जिला भीलवाड़ा की की जमाबंदी संवत् 2069–73 के खाता संख्या 1032 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 1306, 1318/3 रकबा 02–0.5633 है0, खाता संख्या 1034 आराजी सं. 2528/1310 रकबा 1.0116 है0, खाता सं. 1026 आराजी सं. 1299, 1300/2, 1300/5 रकबा 3– 0.8965 है0 एवं खाता सं. 1040 आराजी सं. 1301/2, 1303 रकबा 2– 0.9104 है0 तथा खाता सं. 1069 आराजी सं. 1302 एवं 1305 रकबा 2– 0.7714 है0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिह्न स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। सीमांकन (पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000/–रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधरित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30.05.2023

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा